वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 24.06.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण, अमर उजाला,हिंदुस्तान,ज्ञानशिखा टाइम्स,जनवार्ता,न्यायाधीश," समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण –दि0 24.06.2026

एलेन, आकाश और महेंद्रा समेत आठ कोचिंग सील

मानचित्र स्वीकृति व भवन मानकों के उल्लंघन पर चला अभियान, वीडीए उपाध्यक्ष ने किया औचक निरीक्षण

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) ने शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बड़ा प्रवर्तन अभियान चलाते हुए मंगलवार को एलेन, आकाश इंस्टीट्यूट और महेंद्रा कोचिंग समेत कुल आठ संस्थानों पर कार्रवाई की। मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर विभिन्न क्षेत्रों में स्थित परिसरों को सील कर दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने जोन-1 के शिवपुर और सिकरौल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एलेन कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालन करते हुए पाया गया। मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से संस्थान को सील कर दिया गया तथा संचालकों को आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में भी दो संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पहाड़िया स्थित नंदलाल जायसवाल के भवन में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित कोचिंग के तृतीय तल को सील किया गया। वहीं पंचक्रोशी रोड नई बस्ती में अमनदीप द्वारा बेसमेंट में लाइब्रेरी और भूतल पर बिना अनुमति संचालित कोचिंग संस्थान को भी सील कर दिया गया।

जोन-3 में सिगरा के चंद्रिका नगर स्थित वीरेंद्र प्रताप सिंह के बी जी 4 भवन (मतलब एक ऐसी इमारत से है, जिसमें बेसमेंट-बी, भूतल-जी और उसके ऊपर चार मंजिलें होती हैं, जो कुल छह मंजिला संरचना को दर्शाता है।) में भवन मानकों और स्वीकृत मानचित्र से संबंधित अनियमितताएं मिलने पर परिसर को सील किया गया।

जोन-4 में वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में व्यापक अभियान चलाया गया। संकट मोचन मार्ग स्थित एलेन कोचिंग की एक शाखा और साकेत नगर स्थित दूसरी शाखा को सील कर दिया गया। इसके अलावा ब्रह्मानंद कालोनी, दुर्गाकुंड में संचालित एल-1 कोचिंग, दुर्गाकुंड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट और महेंद्रा कोचिंग के विरुद्ध भी सीलिंग की कार्रवाई की गई। इस दौरान दुर्गाकुंड स्थित कोचिंग सेंटर से बच्चों को तत्काल बाहर निकाला गया।

ब्रह्मानंद कालोनी स्थित कोचिंग संस्थान को सील करते वीडीए के कर्मचारी • जागरण

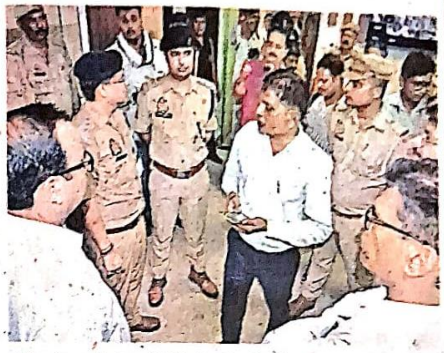

कोचिंग संस्थान की जांच करते वीडीए के अधिकारी व पुलिस • जागरण

महत्वपूर्ण बिंदु

- एलेन की तीन शाखाएं सील
- आकाश इंस्टीट्यूट, महेंद्रा कोचिंग और एल-1 कोचिंग पर भी कार्रवाई
- शिवपुर, सारनाथ, सिगरा, संकट मोचन और दुर्गाकुंड क्षेत्रों में चला अभियान
- मानचित्र स्वीकृति और भवन मानकों के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई
- विद्यार्थियों की सुरक्षा को बताया गया प्रमुख आधार।

15 कोचिंग संस्थानों को जारी किए गए नोटिस

मुख्य अग्निशमन अधिकारी आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोचिंग संस्थानों में चेकिंग अभियान के दौरान अधिकांश स्थानों पर अग्निशमन उपकरण कार्यशील मिले, लेकिन महेंद्र कोचिंग सेंटर में सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त पाई गई। चेतगंज और पिंडरा क्षेत्र में संचालित लाइब्रेरी व कोचिंग संस्थानों के निरीक्षण में भी गंभीर कमियां मिलीं। संकल्प कोचिंग, कौशल्य कंप्यूटर सेंटर और फोकस लाइब्रेरी में अग्निशमन व्यवस्था शून्य पाई गई, जबकि अन्य संस्थानों में केवल प्राथमिक उपकरण मिले। मानक के अनुरूप सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने के लिए 15 संस्थानों को नोटिस जारी हुए।

विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवनों की संरचनात्मक मजबूती और शहरी नियोजन मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना मानचित्र स्वीकृति अथवा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत संचालित शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

– पुर्ण बोरा, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण।

बड़ी घटनाओं के बाद कई सवाल रहते हैं अनुत्तरित

बड़ी घटनाओं के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि विभागीय स्तर पर बड़ी-बड़ी कार्रवाई की जाती है। इसकी जद में आने वाले संस्थाओं या प्रतिष्ठानों से तब तक बड़े स्तर पर राजस्व की हानि हो चुकी होती है। सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे संस्थाओं और प्रतिष्ठानों को शुरुआती दौर में ही चिह्नित क्यों नहीं किया जाता है? किसी बड़ी घटना का इंतजार क्यों? इसका जवाब विभाग भले न दे लेकिन लोगों का मानना है कि इस खेल में दबाव का इंतजार किया जाता है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है।

संबंधित खबर के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

दैनिक जागरण –दि0 24.06.2026

10 और 50 रुपये तक होगा रोपवे का किराया

इस साल सितंबर तक रोपवे परियोजना के शुरू होने की उम्मीद परीक्षण अंतिम चरण में

जागरण संवाददाता, वाराणसी: काशी में देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना शुरू होने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया दिया गया है। शासन ने रोपवे के किराये की अधिसूचना जारी कर दी है। न्यूनतम किराया 10 व अधिकतम 50 रुपये तय किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार रोपवे के इस साल सितंबर तक शुरू होने की संभावना है। काम अंतिम चरण में है और परीक्षण (ट्रायल) प्रक्रिया चल रही है। कैंट स्टेशन, विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौक में पांच स्टेशन बनाए गए हैं। कैंट स्टेशन से गोदौलिया यानी पूरे मार्ग का किराया 50 रुपये और किसी भी दो स्टेशनों के बीच किराया 10 रुपये होगा। वर्तमान में कैंट से गोदौलिया तक सड़क मार्ग से जाने पर 30 से 45 मिनट तक लग जाते हैं, जबकि रोपवे से यही सफर 15 से 16 मिनट में पूरा होगा। इससे समय बचेगा और शहर के व्यस्त मार्गों पर यातायात का दबाव भी कम होगा। स्थानीय यात्रियों के लिए 'काशी स्मार्ट पास' की व्यवस्था है। इन्हें किराये में 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। कैंट से गोदौलिया तक का किराया 40 रुपये और किसी भी दो स्टेशन के बीच किराया आठ रुपये रह जाएगा। पर्यटकों और समूह यात्राओं के लिए प्रीमियम गोंडोला सेवा भी उपलब्ध होगी। इसका किराया 2000 रुपये प्रति यात्रा होगा। संस्थाओं या समूहों द्वारा अग्रिम बुकिंग कराने पर प्रति गोंडोला 1200 रुपये शुल्क देना होगा। कैंट रोपवे स्टेशन पर क्लाक रूम भी बनाया जाएगा। पहले दो घंटे तक सामान निश्शुल्क रखने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद 15 किलोग्राम तक के सामान पर 50 रुपये प्रति घंटा शुल्क लिया जाएगा। रोपवे के किराये में प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से पांच प्रतिशत वृद्धि की जाएगी।

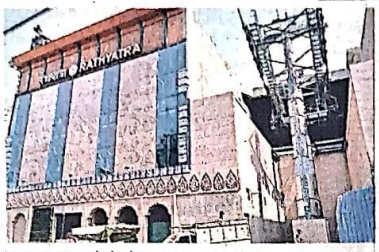

रथयात्रा पर बना रोपवे स्टेशन • जागरण

काशी के शहरी परिवहन की नई उड़ान

रोपवे का शिलान्यास	मई, 2023
निर्माण कंपनी	विश्वसमुद्र वाराणसी रोपवे प्राइवेट लिमिटेड
परियोजना लंबाई	4.2 किलोमीटर
परियोजना लागत	817 करोड़ रुपये
कुल गोंडोला	148
प्रति केबिन क्षमता	10 यात्री
यात्री क्षमता	3,000 यात्री प्रति घंटा प्रति दिशा
कुल दैनिक क्षमता	96,000 यात्री
कुल संभावित वहन क्षमता	एक समय में लगभग 1,480 यात्री
सड़क मार्ग से यात्रा अवधि	30-45 मिनट की यात्रा
रोपवे से लगने वाला समय	लगभग 16 मिनट
तकनीक	मोनो-केबल डिटैचेबल गोंडोला (एमडीजी)
टावर	29
नोडल	वाराणसी विकास प्राधिकरण
अधिकतम टावर ऊंचाई	करीब 15 मंजिला इमारत के बराबर (46.71 मीटर)

2,000 रुपये पर्यटकों और समूह यात्राओं के लिए प्रीमियम गोंडोला सेवा उपलब्ध होगी

20 प्रतिशत छूट मिलेगी स्मार्ट पास धारकों के लिए

पांच स्टेशन

- कैंट स्टेशन
- विद्यापीठ स्टेशन
- रथयात्रा स्टेशन
- गिरजाघर स्टेशन
- गोदौलिया स्टेशन

रोपवे का गोंडोला • जागरण

यातायात दबाव में होगी कमी

- कैंट से गोदौलिया तक तेज और निर्बाध यात्रा, प्रदूषण में कमी
- विश्वनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा
- पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी मिलेगा बढ़ावा
- आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन
- शहर के सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर यातायात दबाव में कमी

अतिरिक्त खबरों के लिए स्कैन करें क्यूआर कोड

कुल 3.75 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पर्यटन और स्थानीय आवागमन को नई गति देने के साथ शहर को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। यातायात का दबाव कम होगा और पर्यटन को नई गति मिलेगी।

-पुर्ण बोरा, वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष

दैनिक जागरण –दि0 24.06.2026

18 बीघे में विकसित अवैध कालोनियां ध्वस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण ने जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 18 बीघे क्षेत्रफल में विकसित की जा रही छह अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-27 के तहत की गई।

वीडीए की प्रवर्तन टीम ने स्ववेंद मंदिर के पीछे, तरैयां, खरगीपुर, बरियासनपुर और सलारपुर में बिना स्वीकृत ले-आउट एवं मानचित्र के विकसित की जा रही प्लाटिंग को ध्वस्त किया। इनमें बरियासनपुर स्थित 10 बीघे क्षेत्रफल की सबसे बड़ी अवैध प्लाटिंग भी शामिल रही। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी रविन्द्र प्रकाश, अवर अभियंता राजू कुमार एवं प्रवर्तन टीम मौजूद रही। वीडीए ने आमजन से अपील की है कि भूमि खरीदने से पहले भूखंड का लैंडयूज और ले-आउट स्वीकृति अवश्य जांच लें तथा स्वीकृत मानचित्र के बिना कोई निर्माण कार्य न करें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

अमर उजाला –दि0 24.06.2026

बेसमेंट में लाइब्रेरी और नक्शा पास नहीं, आठ कोचिंग इंस्टीट्यूट सील

लखनऊ में 15 विद्यार्थियों की मौत के बाद वीडीए की बड़ी कार्रवाई, नियमों के पालन की अपील

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। आग से लखनऊ में 15 विद्यार्थियों की मौत के बाद मंगलवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के अफसर जागे और नियम-मानक दरकिनार करने वाले आठ कोचिंग इंस्टीट्यूट सील कर दिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी बेसमेंट में मिली है। भूतल पर कक्षाएं चलती पाई गईं। बिना नक्शा पास कराए ही कोचिंग संचालन का मामला सामने आया।

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के मुताबिक वीडीए की प्रवर्तन टीम ने मंगलवार को शहरभर में छापे मारे हैं। जोन वन शिवपुर, सिकरौल में छापे से पता चला कि कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति कराए संचालित किया जा रहा है इसलिए परिसर को सील कर दिया गया। जोन दो सारनाथ में दो कोचिंग संस्थाओं को सील किया गया है।

कोचिंग से डेस्क और बेंच लेकर जाते कर्मचारी। संवाद

इसमें पहड़िया में एक भवन के तीसरे तल पर 1000 वर्ग मीटर में संचालित कोचिंग का नाम भी शामिल है।

पंचक्रोशी मार्ग नई बस्ती में 400 वर्ग मीटर में कोचिंग चल रही थी। इस भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं पाया गया। बिना स्वीकृति के बेसमेंट में लाइब्रेरी और भूतल पर कोचिंग का संचालन मिला है। वीडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि जोन तीन के सिगरा में अनियमित तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन पाया गया।

वीडीए सचिव वेद प्रकाश मिश्रा की अगुवाई में भी जोन चार में व्यापक अभियान चलाया गया। यहां एक कोचिंग की दो शाखाएं सील की गईं। वीडीए

19 इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी की जांच, 15 को नोटिस

वाराणसी। लखनऊ में विद्यार्थियों की मौत के बाद अग्निशमन विभाग ने मंगलवार को 19 कोचिंग इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी की जांच की है। कमियां मिलने पर 15 संस्थानों को नोटिस दिया गया। कुछ संस्थानों में आपातकालीन निकास द्वार ठीक नहीं मिला। बेसमेंट में ज्वलनशील पदार्थ अव्यवस्थित तरीके से रखने का मामला भी सामने आया। चीफ फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि कहीं फायर उपकरण की उपलब्धता कम मिली है। कुछ ऐसे भी हैं जहां उपकरण लगे ही नहीं थे। नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। संवाद

उपाध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों और भवनों की संरचनात्मक सुरक्षा प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संस्थानों को नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

अमर उजाला –दि0 24.06.2026

कैंट से गोदौलिया का किराया 50 रुपये, 2000 में बुक करा सकेंगे एक गंडोला

रोपवे : विद्यापीठ से रथयात्रा तक 10 रुपये देने होंगे, स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों के लिए काशी स्मार्ट पास की सुविधा

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। राज्य सरकार ने काशी में रोपवे का किराया तय करके मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। कैंट से गोदौलिया तक का किराया 50 रुपये रखा गया है। काशी विद्यापीठ से रथयात्रा तक 10 रुपये देने होंगे।

विशेष पर्यटक और समूह यात्रा के लिए प्रीमियम गंडोला बुकिंग की सुविधा भी मिलेगी। एक प्रीमियम गंडोला का किराया 2000 रुपये प्रति यात्रा निर्धारित किया गया है। किसी संस्था, समूह या आयोजक की ओर से पहले बुकिंग कराने पर प्रति गंडोला और प्रति यात्रा 1200 रुपये का शुल्क देय होगा। यानी 800 रुपये की छूट मिलेगी। यह सेवा विशेष आयोजनों और बड़े समूहों

के लिए उपलब्ध होगी। एक गंडोला से एक साथ दस लोग सफर कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार, वाराणसी कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 50 रुपये तय किया गया है। निर्धारित किराये की दर में हर साल एक अप्रैल से पांच फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। स्थानीय नागरिकों और नियमित यात्रियों को काशी स्मार्ट पास की सुविधा दी जाएगी। काशी स्मार्ट पास बनवाने पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी।

16 मिनट में पूरा होगा 3.75 किमी का सफर

वाराणसी रोपवे परियोजना देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे की परियोजना है। यह कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर लंबे मार्ग पर संचालित होगी। रोपवे के संचालन से कैंट से गोदौलिया तक की यात्रा 16 मिनट में पूरी हो सकेगी। सड़क मार्ग से यह करीब 45 मिनट में पूरी होती है। इससे शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव में कमी आएगी। प्रदूषण नियंत्रण में भी योगदान मिलेगा।

दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खास सुविधा

रोपवे परियोजना के तहत कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा और गोदौलिया में आधुनिक स्टेशन विकसित किए गए हैं। इन स्टेशनों पर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं की सुविधा के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर और सीसीटीवी निगरानी जैसी सुविधाएं हैं। अग्नि सुरक्षा व्यवस्था और डिजिटल टिकटिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है।

हिन्दुस्तान –दि0 24.06.2026

शासन ने किराये की दरों को दी हरी झंडी

रोप-वे : कैंट से गोदौलिया का सफर ₹ 50 में

सहूलियत

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। कैंट स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक रोप-वे पर सफर करने के लिए नगद भुगतान पर एक यात्री को 50 रुपये खर्च करने होंगे। वही किसी भी दो स्टेशन में बीच रोप-वे के सफर के लिए दस रुपए देने होंगे। शासन ने बनारस में रोप-वे के किराए पर मुहर लगा दी है। निर्धारित किराये में हर साल 1 अप्रैल से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी।

खास बात यह है कि 'काशी स्मार्ट पास' बनवाने वाले यात्रियों को किराए में 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। पास धारकों को कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक के लिए 40 रुपए देना होगा। दो स्टेशनों के बीच आठ रुपए किराया लगेगा। रोप-वे स्टेशनों पर यात्रियों को सामान रखने के लिए दो घंटे तक कोई शुल्क नहीं देना होगा लेकिन इसके बाद 50 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लगेगा।

पर्यटकों के समूह के लिए प्रीमियम सेवा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति यात्रा का किराया ₹2000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं किसी संस्था, समूह अथवा आयोजक की ओर से एडवांस बुकिंग आरक्षण कराने पर एक गोंडोला की प्रति यात्रा ₹1200 रुपये किराया देना होगा। रोप-वे परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि शहर में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुरक्षित एवं सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासन ने वाराणसी रोप-वे परियोजना के लिए किराया दरों की अधिसूचना जारी कर दी है। यात्रियों के लिए किफायती किराया निर्धारित है।

चार किलोमीटर तक जाने में लगेंगे 15 मिनट

कैंट से गोदौलिया तक रोप-वे से सफर करने में केवल 15 मिनट लगेंगे। करीब चार किलोमीटर के इस सफर में यात्रियों को जाम की झंझट नहीं झेलनी होगी। उल्लेखनीय है कि वाराणसी में देश की यह पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोप-वे परियोजना है। इसमें कैंट, विद्यापीठ, रथयात्रा एवं गोदौलिया में आधुनिक स्टेशन बनाए गए हैं। रोप-वे स्टेशनों पर दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट, एस्केलेटर, सीसीटीवी निगरानी, आग से सुरक्षा एवं डिजिटल माध्यम से टिकट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 24.06.2026

सावन में काशी को रोपवे की सौगात, किराया दरें तय; कैंट से गोदौलिया का सफर अब 15 मिनट में

वाराणसी। सावन माह में काशी आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बहुप्रतीक्षित रोपवे सेवा की सौगात मिलने जा रही है। कैंट रेलवे स्टेशन से रथयात्रा होते हुए गोदौलिया तक रोपवे सेवा शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शासन ने रोपवे सेवा की किराया दरें भी निर्धारित कर दी हैं।निर्धारित दरों के अनुसार रोपवे में यात्रा का न्यूनतम किराया ?10 तथा अधिकतम किराया ?50 होगा। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक पूरे मार्ग की यात्रा मात्र 50 में पूरी की जा सकेगी, जबकि विद्यापीठ से रथयात्रा तक की यात्रा के लिए यात्रियों को केवल 10 का भुगतान करना होगा।विशेष बात यह है कि रथयात्रा तक का किराया मात्र 8 होगा।यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कैंट रोपवे स्टेशन पर क्लॉक रूम

काशी स्मार्ट पास धारकों को सभी किरायों पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके तहत कैंट से गोदौलिया तक की यात्रा ?40 तथा विद्यापीठ से की व्यवस्था भी की जाएगी। रोपवे टिकट धारकों को शुरुआती दो घंटे तक सामान रखने की सुविधा निशुल्क मिलेगी। इसके बाद 15 किलोग्राम तक सामान के लिए 50 प्रति घंटा शुल्क लिया जाएगा।वर्तमान में कैंट से गोदौलिया तक सड़क मार्ग से पहुंचने में सामान्यत: 30 से 45 मिनट का समय लगता है, जबकि रोपवे के माध्यम से यही दूरी महज 15 से 16 मिनट में तय की जा सकेगी। इससे शहर के यातायात दबाव और जाम की समस्या में भी काफी राहत मिलने की उम्मीद है।देश की पहली शहरी सार्वजनिक रोपवे परियोजनाओं में शामिल यह महत्वाकांक्षी योजना काशी की परिवहन व्यवस्था को नई पहचान देगी। सावन के दौरान बाबा विश्वनाथ धाम आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा विशेष रूप से लाभदायक साबित होगी, जिससे उनका सफर अधिक सुगम, तेज और सुविधाजनक बन सकेगा।

जनवार्ता –दि0 24.06.2026

कई नामी कोचिंग सेंटर सील

अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और भवन निर्माण में अनियमितता पर कार्रवाई

वाराणसी (जनवार्ता)। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद वाराणसी प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को अग्निशमन विभाग और वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख कोचिंग हब दुर्गाकुंड, साकेत नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान

वीडीए व अग्नि शमन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप

चलाया। इस दौरान सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर कई प्रमुख कोचिंग संस्थानों को सील कर दिया गया, जबकि अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया।

संयुक्त टीम ने फायर सेफ्टी, भवन सुरक्षा, आपातकालीन निकास मार्ग और स्वीकृत भवन मानचित्र समेत विभिन्न मानकों की जांच की। अधिकारियों के अचानक पहुंचने से कोचिंग संस्थानों में हड़कंप मच गया। जांच में कई संस्थान निर्धारित सुरक्षा

मंगलवार को एलन कोचिंग में जांच करते अधिकारी व पुलिस।

मानकों का पालन करते नहीं पाए गए।

टीम ने सबसे पहले जेआरएस कोचिंग का निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा संबंधी कमियों को लेकर प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा गया। इसके बाद दुर्गाकुंड स्थित आकाश कोचिंग में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि हजारों छात्रों की आवाजाही के लिए मात्र तीन फीट चौड़ा रास्ता था। साथ ही संस्थान प्रबंधन स्वीकृत भवन मानचित्र भी प्रस्तुत नहीं कर सका।

गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए प्रशासन ने आकाश कोचिंग, एलेन कोचिंग और एएल-1 कोचिंग व महेन्द्र कोचिंग समेत कई संस्थानों को सील कर दिया। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई अन्य कोचिंग संस्थानों ने छात्रों की छुट्टी कर दी, जबकि कुछ संचालकों ने संस्थानों के शटर बंद कर दिए। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के कोचिंग में अग्निकांड के बाद सतर्क वीडीए ने मंगलवार को विशेष अभियान चलाया।

अभियान के तहत उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने जोन-1 के शिवपुर व सिकरौल क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। जिसमें एलेन कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित मानकों के संचालन करते पाया गया, जिस पर परिसर को तत्काल सील कर दिया गया। वही जोन-2 के सारनाथ क्षेत्र में पहाड़िया स्थित एक कोचिंग संस्थान के तृतीय तल को स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पाए जाने पर सील किया गया। जोन-4 में सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में संकट मोचन मार्ग व साकेत नगर स्थित एलेन कोचिंग की शाखाओं को भी सील किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन मानकों के अनुपालन के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।

वीडीए और अग्निशमन विभाग की कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप की स्थिति है। जबकि प्रशासनिक अमला अब पूरी तरह से नियमों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है।

न्यायाधीश –दि0 24.06.2026

मानचित्र स्वीकृति एवं भवन मानकों के उल्लंघन पर वाविप्रा की सख्त कार्रवाई

कुल 08 कोचिंग संस्थानों के सम्बन्धित परिसरों को किया सील

वाराणसी। वाविप्रा द्वारा अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थानों एवं भवन मानकों के उल्लंघन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 23 जून, 2026 को विभिन्न जोनों में व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई की गई। इसी क्रम में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा द्वारा जोन-1 (शिवपुर एवं सिकरौल क्षेत्र) का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि एलेन कोचिंग सेंटर द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालन किए बिना संस्थान संचालित किया जा रहा था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसर को सील कर दिया गया तथा संचालकों को आवश्यक स्वीकृतियां एवं अभिलेख प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जोन-2 के अंतर्गत वार्ड सारनाथ क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मौजा पहड़िया में नंदलाल जायसवाल द्वारा लगभग 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने पर भवन के तृतीय तल को मौके पर सील किया गया। वहीं पंचकोशी रोड, नई बस्ती में अमनदीप द्वारा लगभग 400 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति बेसमेंट में लाइब्रेरी तथा भूतल पर कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने पर संबंधित परिसर को मौके पर सील कर दिया गया। जोन-3 के अंतर्गत चन्द्रिका नगर, सिगरा, वाराणसी स्थित वीरेंद्र प्रताप सिंह के भवन (बी१जी१4) में भवन मानकों एवं स्वीकृत मानचित्र संबंधी अनियमितताएं पाए जाने पर नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए परिसर को सील किया गया। जोन-4 में वाविप्रा के सचिव डॉ वेद प्रकाश मिश्रा द्वारा व्यापक अभियान चलाते हुए विभिन्न कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संकट मोचन मार्ग स्थित एलेन कोचिंग की प्रथम शाखा को मौके पर सील कराया गया। इसी प्रकार साकेत नगर स्थित एलेन कोचिंग की द्वितीय शाखा को भी सील किया गया। ब्रह्मानन्द कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड में संचालित एल-1 कोचिंग के भवन को मौके पर सील कराया गया। इसके अतिरिक्त दुर्गाकुण्ड स्थित आकाश इंस्टीट्यूट तथा महेन्द्रा कोचिंग के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसरों को मौके पर सील कर दिया गया।